

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, कानपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर एतद्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्नवत् निर्गत की जाती है:-

1-कार्य का विवरण

डा० अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3, कानपुर के
सेक्टर-ई (पार्ट) में भूखण्ड संख्या-ई/जी०पी०-5
पर प्रस्तावित एफ-82 प्रकार के (जी+3) फिनिश 30
नग फ्लैट्स के निर्माण कार्य।

2-आई०डी०कोड सं०

026179

3- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति
का संदर्भ

अभियन्त्रण अनुभाग के कार्यालय आदेश संख्या 3048/
ए-4/468 दि० 13.08.2013 के द्वारा रु० 346.20 लाख

4- तकनीकी स्वीकृति की धनराशि

रु० 346.20 लाख

5- लेखा शीर्षक एवं वित्त संख्या

34/161

प्रतिबन्ध

- 1- नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 2- कार्यों का सम्पादन, सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत विशिष्टियों/प्राविधानों/स्वीकृत ले-आउट प्लान/डिटेल्ड ड्राइंग/स्वीकृत स्ट्रक्चरल डिजाइन के अनुसार कराया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि विशिष्टियों/प्राविधानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त की जायेगी।
- 3- विस्तृत प्राक्कलन में ली गई विभिन्न मदों की मात्राओं, दरों एवं विभिन्न सामग्रियों की बाजार दरों के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
- 4- तकनीकी स्वीकृति से अधिक धनराशि किसी भी दशा में व्यय न की जायेगी।
- 5- कार्य निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रतिबन्ध के अनुसार कराया जायेगा।
- 6- विस्तृत प्राक्कलन में सम्मिलित इंजीनियरिंग एप्रीसिएशन को आधार नहीं माना जायेगा। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जायेगा।

प्र०सं०: 3255/ए-4/468

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- वित्त नियंत्रक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
- 2- वरिष्ठ स्टाफ आफिसर/अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/कानपुर।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17/अधिशासी अभियन्ता (तक०) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर/लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता

दिनांक 29.8.2013